

दिल्ली विधान सभा Delhi Legislative Assembly

'दिल्ली जल बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2005' पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON 'THE DELHI WATER BOARD (AMENDMENT) BILL, 2005'

दिनांक 3 मार्च 2006 को प्रस्तुत Presented on March 2006

समिति की सदस्यता

Composition of the Committee

1	श्री राम बाबु शर्मा	सभापति
	Shri Ram Babu Sharma	Chairman
2	श्रीमती शीला दीक्षित,मुख्य मंत्री	सदस्य
	Smt. Sheila Dikshit, Chief Minister	Member
3	डॉ. एस सी वत्स	सदस्य
	Dr. SC Vats	Member
4	श्री भीष्म शर्मा	सदस्य
	Shri Bheeshm Sharma	Member
5	श्री शादी राम	
	Shri Shadi Ram	Member
6	श्री तरविन्द्र सिंह मारवाह	सदस्य
	Shri Tarvinder Singh Marwah	Member
7	श्री मोती लाल सोढ़ी	सदस्य
	Shri Moti Lal Sodhi	Member
8	श्री रमेश बिधुड़ी	सदस्य
	Shri Ramesh Bidhuri	Member
9	श्री विजय जौली	सदस्य
	Shri Vijay Jolly	Member

विधान सभा सचिवालय Assembly Secretariat:

1	श्री सिद्धार्थ राव	सचिव
	Shri Siddharath Rao	Secretary
2	श्री जी.एस. रावत	संयुक्त सचिव
	Shri GS Rawat	Joint Secretary
3	श्री सी. वेलमुरुगन	अवर सचिव
	Shri C. Velmurugan	Under Secretary

'दिल्ली जल बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2005' पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

'दिल्ली जल बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2005' विधान सभा में दिनाँक 22 सितम्बर 2005 को पुर:स्थापित किया गया तथा सदन द्वारा इस पर दिनाँक 26 सितम्बर 2005 को विचार किया गया। विधान सभा सिचवालय को सदस्यों से दलगत राजनीति से परे काफी संख्या में संशोधन प्राप्त हुए जिनमें यह संकेत था कि विधेयक अपने मूल स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है।

विधेयक पर जिस दिन विचार किया गया, श्री रामबाबू शर्मा तथा मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति का गठन दिनाँक 24 अक्तूबर 2005 को किया गया।

समिति की दिनाँक 2 फरवरी 2006 को बैठक हुई और बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसमित्ति से निर्णय लिया कि वर्तमान स्वरूप में विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अत: समिति सिफारिश करता है कि दिल्ली जल बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2005 को वापिस लिया जाए।

दिल्ली

दिनांक: 1-3- 2006

२। भ वा वि दि राम बाबू शर्मा सभापति

Report of the Select Committee on 'The Delhi Water Board (Amendment) Bill, 2005

"The Delhi Water Board (Amendment) Bill, 2005" was introduced in the Assembly on the 22nd September 2005 and taken up for consideration on the 26th September 2005. The Assembly Secretariat received a large number of amendments from the members cutting across party lines indicating that the Bill in its original form was not acceptable.

On the day of the consideration of the Bill, on a motion moved by Shri Ram Babu Sharma and the Chief Minister, the Bill was referred to the Select Committee. The Committee was constituted by the Hon'ble Speaker on the 24th October 2005.

The Committee held its meeting on 2nd February 2006 and a unanimous decision was taken by the Member's present that the Bill in the present form and shape was not acceptable.

The Committee therefore recommends that "The Delhi Water Board (Amendment) Bill, 2005" be withdrawn.

Delhi

1-3-2006

(Ram Babu Sharma)

Chairman